bachpan bachao andolan

Role of RPF/GRP in dealing with निम्न से निपटने में आरपीएफ़/जीआरपी की भूमिका

- Missing Children गुमशुदा बच्चे
- Child Sexual Abuse बाल यौन शोषण
- Child Trafficking बाल दुर्व्यापार

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

बच्चा कौन है

18 वर्ष से कम

कोई भी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि

पुरुष महिला ट्रांसजेंडर

मासूम

कोई भी धर्म

लापरवाह

जिज्ञासु

नटखट

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

बचपन क्या है?

प्रयोगात्मक (Experimental)

मासूम (Innocent) Sweet, Cute, Fearful

मस्त (Carefree) Playful

नटखट Naughty Funny, idiot

Pure & truthful

नासमझ (Mindless)

चतुर (Clever)

जिज्ञासु (Curious)

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

क्या बच्चों को अधिकारों की ज़रूरत है?

- मनुष्य और उनके अधिकार मानवाधिकार हैं
- वयस्कों की तुलना में अधिक असुरक्षित
- अपने माता-पिता की संपत्ति के रूप में देखे जाते हैं
- समाज में योगदान नहीं देते
- शोषण और दुर्व्यवहार के प्रति संवेदनशील
- कई बार उन्हें अनसुना कर दिया जाता है

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

क्या बच्चे अधिक असुरक्षित हैं?

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

क्या सभी बच्चों को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है?

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

7

रेलवे के संपर्क में आया, विषम परिस्थितियों वाला बच्चा

रेलवे के संपर्क में आने वाले बच्चों में निम्न बच्चे शामिल हैं

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे (सीएनसीपी)

❖ धारा 2(14) किशोर न्याय अधिनियम, 2015 - 'देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे' (सीएनसीपी)

❖स्टेशन पर और चलती ट्रेन में सीएनसीपी का मतलब:-

- अकेले बच्चे जिन्हें सहायता की आवश्यकता है।
- अकेले यात्रा करने वाला बच्चा जो संकट में है।
- स्टेशनों पर या चलती ट्रेन में मिले लापता बच्चे।
- बच्चों का दुर्व्यापार किता जा रहा है।
- ट्रेन छूट जाने या माता-पिता द्वारा छोड़े जाने के कारण अपने परिवार से अलग हुए बच्चे।
- बच्चे अपने घरों और परिवारों से भाग गए हैं।
- स्टेशन पर रहने वाले बच्चे।
- स्टेशन पर या ट्रेन में काम करने वाले बच्चे।
- स्टेशन पर घायल, बीमार/शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे।
- दुर्व्यवहार किए गए बच्चे या दुर्व्यवहार के प्रति संवेदनशील बच्चे।
- स्टेशन पर नशे की लत में लिप्त बच्चे।
- कचरा बीनने वाले बच्चे।
- स्टेशन पर विकलांग बच्चों सहित परित्यक्त बच्चे।
- बाल भिखारी।

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

भारत में अपराध रिपोर्ट 2020-2022
बच्चों के विरुद्ध अपराध

बच्चों के विरुद्ध अपराध (एनसीआरबी)			
	2020	2021	2022
India	1,28,531	1,49,404	1,62,449

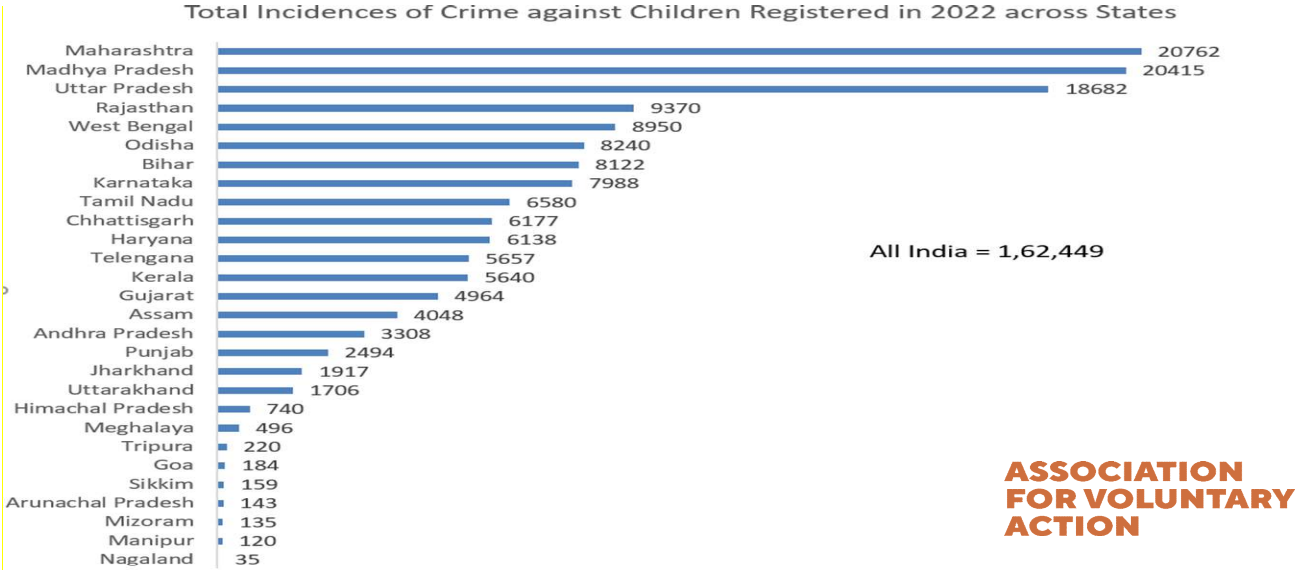

बच्चों के विरुद्ध अपराध (एनसीआरबी)

Missing Children (Kidnapping and Abduction)

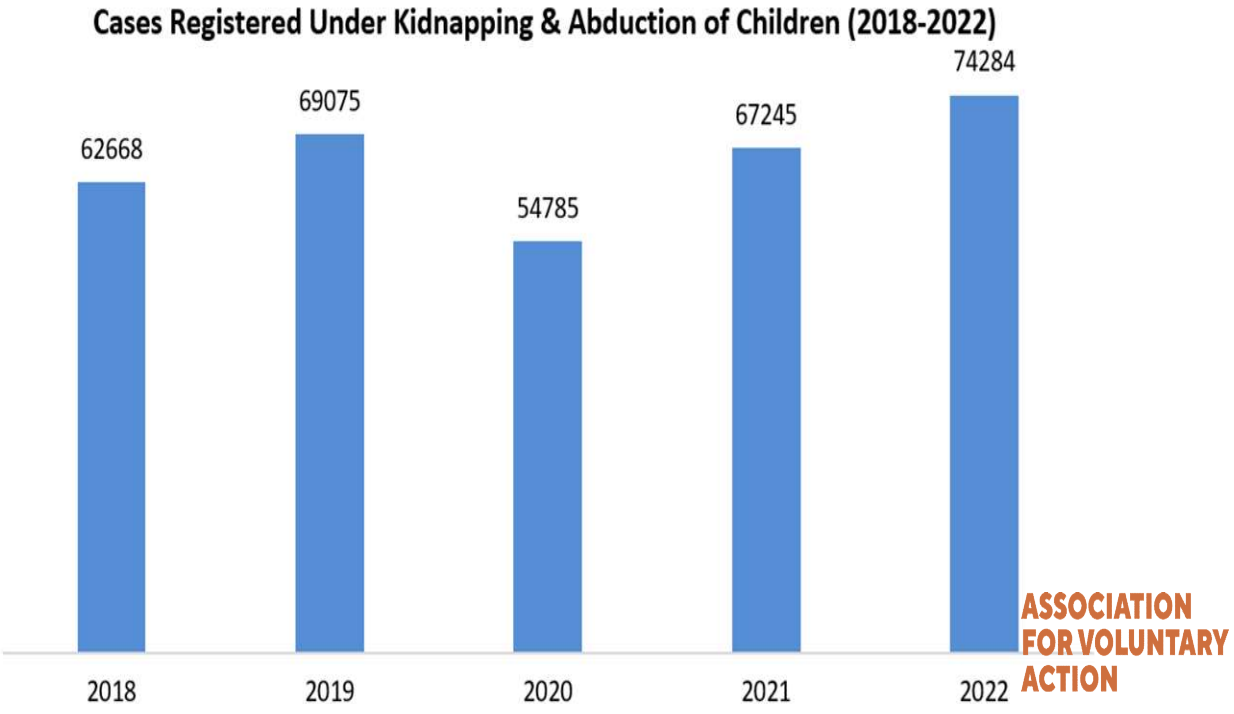

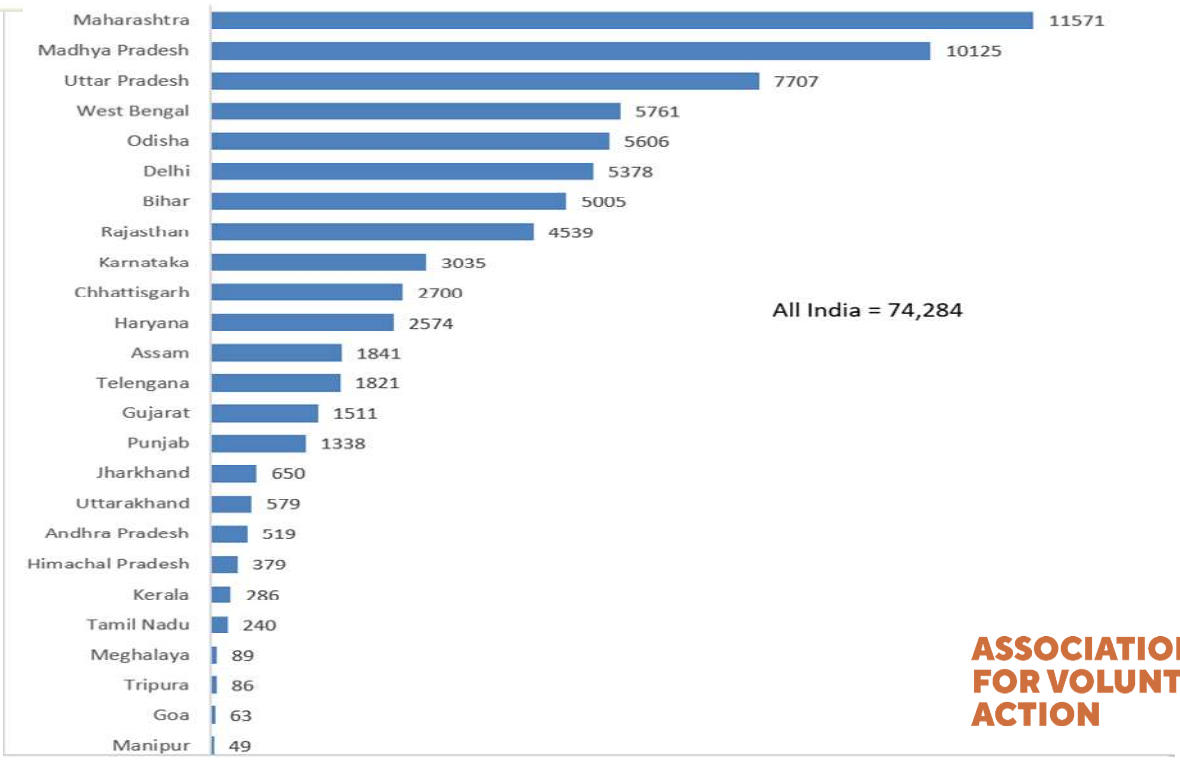

Cases of Kidnapping and Abduction of Children Registered in 2022 across States

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

बच्चों के विरुद्ध अपराध (एनसीआरबी)

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 Protection of Children from Sexual Offences (POCSO)			
Year	2020	2021	2022
India	46,123	53,874	63414

बाल श्रम Child Labour			
Year	2020	2021	2022
India	476	613	751

बाल विवाह Child Marriage (Prohibition of Child Marriage Act)			
Location/Year	2020	2021	2022
India	785	1050	1002

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

ह्यूमन ट्रेफिकिंग (मानव दुर्व्यापार) एनसीआरबी डेटा

दुर्व्यापार के कुल पीड़ितों में से 47.6 प्रतिशत बच्चे हैं, जिनमें से 63 प्रतिशत लड़के और 37 प्रतिशत लड़कियां हैं

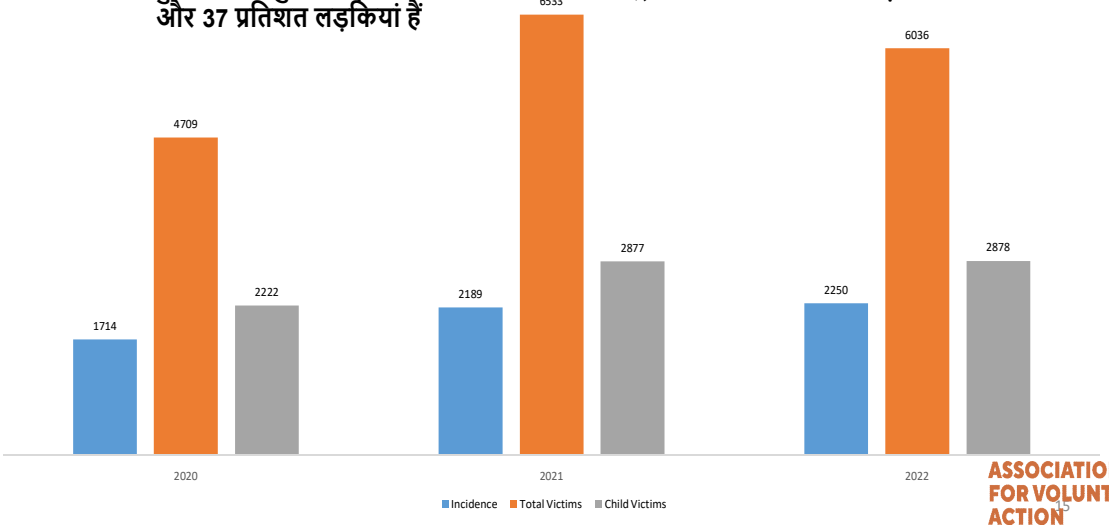

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

State/UT-wise Human Trafficking Cases- Reported during the last five years as per the NCRB Report

SL.No.	State/UT	Cases Reported				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Andhra Pradesh	240	245	171	168	163
2	Arunachal Pradesh	3	0	2	3	4
3	Assam	308	201	124	203	140
4	Bihar	127	106	75	111	260
5	Chhattisgarh	51	50	38	29	26
6	Goa	55	38	17	15	1
7	Gujarat	13	11	13	13	9
8	Haryana	34	15	14	37	13
9	Himachal Pradesh	6	11	4	5	5
10	Jharkhand	140	177	140	92	100
11	Karnataka	27	32	13	13	18
12	Kerala	105	180	166	201	135
13	Madhya Pradesh	63	73	80	89	81
14	Maharashtra	311	282	184	320	295
15	Manipur	3	9	6	1	0
16	Meghalaya	24	22	1	1	2
17	Mizoram	2	7	0	0	0
18	Nagaland	0	3	0	0	0
19	Odisha	75	147	103	136	121
20	Punjab	17	19	17	15	21
21	Rajasthan	86	141	128	100	117
22	Sikkim	1	0	1	0	0
23	Tamil Nadu	8	16	11	3	1
24	Telangana	242	137	184	347	391
25	Tripura	2	1	1	1	0
26	Uttar Pradesh	35	48	90	103	126
27	Uttarakhand	29	20	9	16	16
28	West Bengal	172	120	59	61	67
29	A & N Islands	0	0	0	0	0
30	Chandigarh	0	2	2	2	1
31	D&N Haveli and Daman & Diu	0+	0+	2	0	0
32	Delhi UT	98	93	53	92	106
33	Jammu & Kashmir	1*	0*	2	4	8
34	Ladakh	-	-	0	0	0
35	Lakshadweep	0	0	0	0	0
36	Puducherry	0	2	4	8	23
	TOTAL ALL INDIA	2278	2208	1714	2189	2250

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

गुमशुदा बच्चा कौन है

लापता बच्चा -

- कोई भी बच्चा जो अपने माता-पिता या कानूनी अभिभावकों के संरक्षण में नहीं है (**नियम 92, किशोर न्याय अधिनियम (2015) के अनुसार**)
- **सीएनसीपी** - जिसके लापता होने या भाग जाने की सूचना दी गई हो या जिसके माता-पिता उचित पूछताछ के बाद भी नहीं मिल सके धारा 2(14)(vii) **किशोर न्याय अधिनियम (2015)**
- बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) से भाग जाने या निकल जाने वाला बच्चा

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

लापता बच्चों में अन्य शामिल हैं

- **जिन बच्चों का पता लगाया गया है**:

एक बच्चा जिसे पुलिस ने लापता बच्चे की रिपोर्ट/एफआईआर के आधार पर खोजा है|

- **जो बच्चे मिल गए हैं**:

वह बच्चा, जो पुलिस को सड़कों पर/बाजार में/रेलवे प्लेटफॉर्म पर/बस स्टॉप पर/ट्रेन में/बंदरगाह पर/हवाई अड्डे पर/बस या अन्य सार्वजनिक परिवहन पर/अस्पताल में मिला है अथवा बचाव कार्य के दौरान या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मिला है और/या किशोर न्याय बोर्ड ("जेजेबी")/बाल कल्याण समितियां ("सीडब्ल्यूसी")/चाइल्डलाइन/किसी अन्य गैर सरकारी संगठन या किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस के समक्ष लाया गया है।

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

गुमशुदा बच्चे और ट्रेफिकिंग

- नौकरी का लालच देकर बच्चों को ले जाना
- भीख मांगने और यौन शोषण जैसे संगठित गठजोड़ के लिए बच्चे का उपयोग
- जबरन बाल श्रम/बंधुआ मजदूरी के लिए उपयोग
- अंग व्यापार के लिए उपयोग

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ (सर्वोच्च न्यायालय, 10.05.2013)

- पुलिस थाने में **दर्ज** गुमशुदा बच्चों की **शिकायत** को **तत्काल एफआईआर** में तब्दील किया जाना चाहिए तथा प्राथमिकता के आधार पर **जांच** की जानी चाहिए।
- जब तक अन्यथा साबित न हो जाए, प्रत्येक गुमशुदा बच्चे के लिए प्रारंभिक अनुमान **अपहरण या दुर्व्यापार** का लगाया जाना चाहिए।
- गुमशुदा बच्चों के सभी मामलों में एफआईआर अनिवार्य है।
- प्रत्येक पुलिस थाने में **किशोर कल्याण अधिकारी** के रूप में एक पुलिस अधिकारी होना चाहिए (धारा 107, जेजे अधिनियम)
- **एक पैरा-लीगल वालंटियर को पुलिस थाने** में शिफ्ट में तैनात किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गुमशुदा बच्चों तथा बच्चों से संबंधित अन्य अपराधों के मामलों से कैसे निपटा जा रहा है।यदि एफआईआर की तिथि से **4 महीने** के भीतर गुमशुदा बच्चे बरामद नहीं होते हैं, तो मामले को प्रत्येक राज्य के **एएचटीयू** को भेजा जाना चाहिए।

बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ (सर्वोच्च न्यायालय, 10.05.2013)

- एएचटीयू को कानूनी सेवा प्राधिकरणों (DLSA) को जांच की प्रगति पर हर तिमाही में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करनी चाहिए।
- बच्चे की बरामदगी/बचाव के बाद, पुलिस बच्चे के लापता होने के मामले में **दुर्व्यापार** के पहलू की आगे जांच करेगी तथा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई करेगी।
- पुलिस द्वारा प्रत्येक बरामद/बरामद बच्चे की तस्वीरें तुरंत विज्ञापित की जानी चाहिए, ताकि उसके रिश्तेदारों तथा अभिभावकों को इसकी जानकारी हो सके।
- लापता बच्चों के मामलों, जैसे **दुर्व्यापार**, **बाल श्रम, अपहरण, शोषण** आदि में कानून के **उपयुक्त प्रावधानों** पर **एसओपी** लागू किया जाएगा।

trackthemissingchild.gov.in/trackchild/index.php
Select Language: English
Resource Directory
NATIONAL TRACKING SYSTEM
for
MISSING & VULNERABLE CHILDREN
Ministry of Women and Child Development
CARA
TrackCHILD 3.0
HOME
ABOUT TRACKCHILD
NOTICE BOARD
STAKEHOLDERS' LOGIN
FEEDBACK
CHILDREN RELATED LAW
Let's reintegrate every "Missing Child"
of the country with their families
There is no greater burden or torture in this
life than for parents to live without their child
In Emergency, dial
1098 for Childline
100 for Police
ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

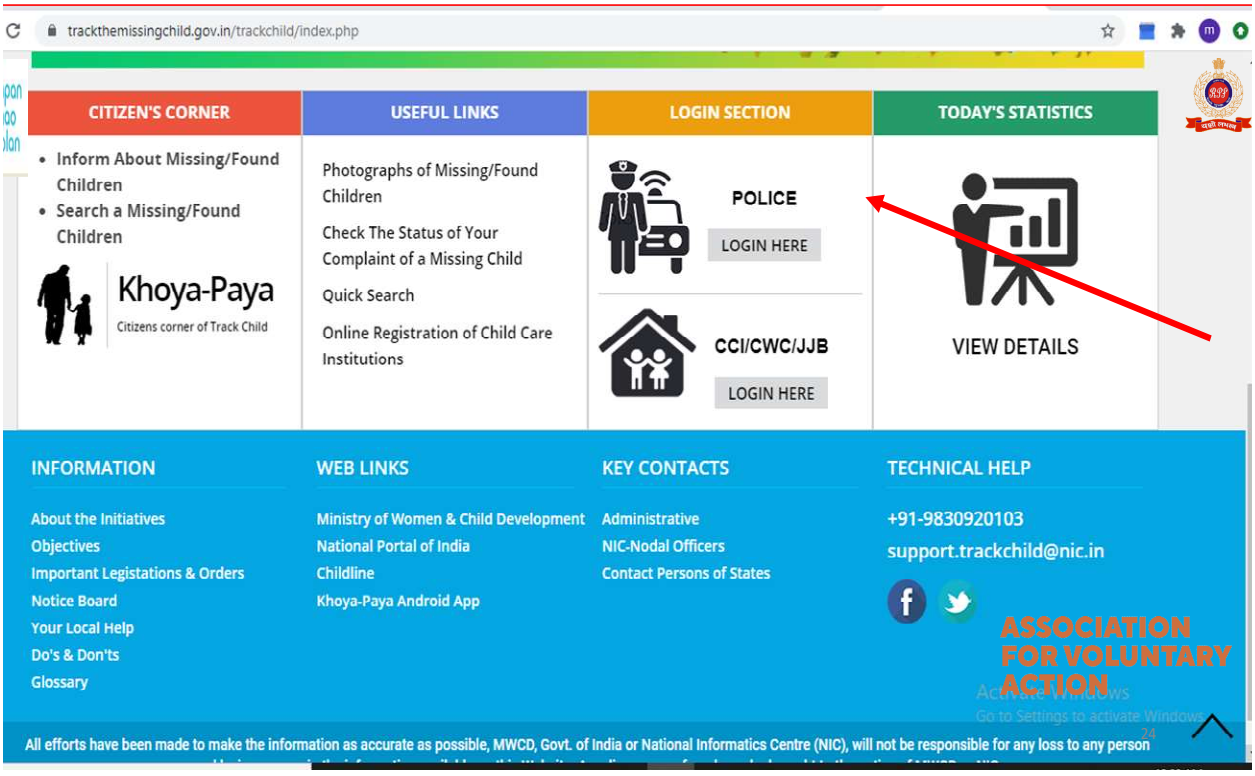
trackthemissingchild.gov.in/trackchild/index.php
CITIZEN'S CORNER
Inform About Missing/Found Children
Search a Missing/Found Children
Khoya-Paya
Citizens corner of Track Child
USEFUL LINKS
Photographs of Missing/Found Children
Check The Status of Your Complaint of a Missing Child
Quick Search
Online Registration of Child Care Institutions
LOGIN SECTION
POLICE
LOGIN HERE
CCI/CWC/JJB
LOGIN HERE
TODAY'S STATISTICS
VIEW DETAILS
INFORMATION
About the Initiatives
Objectives
Important Legistations & Orders
Notice Board
Your Local Help
Do's & Don'ts
Glossary
WEB LINKS
Ministry of Women & Child Development
National Portal of India
Childline
Khoya-Paya Android App
KEY CONTACTS
Administrative
NIC-Nodal Officers
Contact Persons of States
TECHNICAL HELP
+91-9830920103
support.trackchild@nic.in
ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION
All efforts have been made to make the information as accurate as possible, MWCD, Govt. of India or National Informatics Centre (NIC), will not be responsible for any loss to any person

जब बच्चा मिल गया

- बच्चे को सीडब्ल्यूसी/जेजेबी/बाल न्यायालय के समक्ष पेश करना
- ट्रैकचाइल्ड पोर्टल पर रिकवरी फॉर्म "आर" भरना और
- डेटा को www.trackthemissingchild.gov.in पर अपडेट करना

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

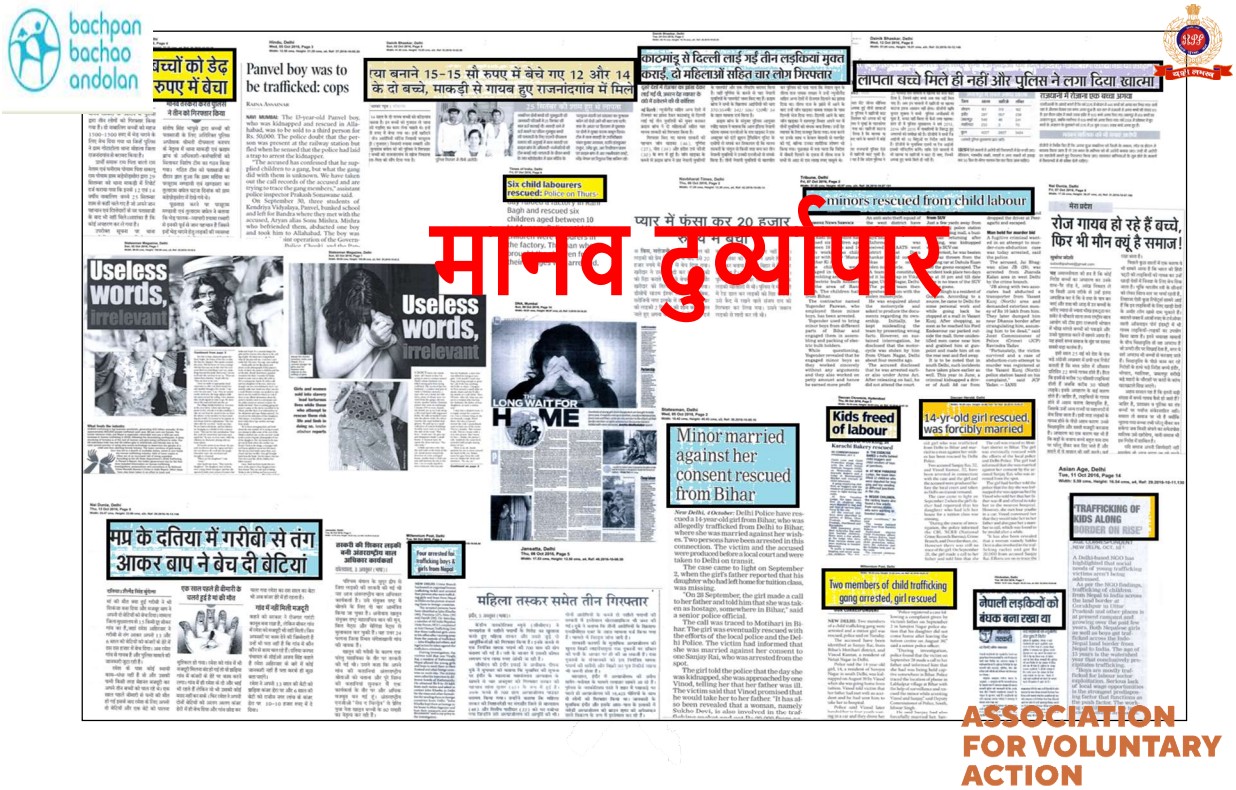

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

शोषण के रूप

जबरन श्रम /बंधुआ मजदूरी

अंगों को निकालना /अंगों की चोरी करना

बच्चे के साथ यौन संबंध बनाना

उसकी जबरन शादी करना

बेचना

उसका अपहरण करना

बंधक बनाना

या उससे जबर्दस्ती भीख मंगवाना

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

दुर्व्यापार करने वाला कैसे काम करता है

स्रोत

वह क्षेत्र या स्थान, जहाँ से एक पीड़ित की पहचान होती है और शोषण करने के इरादे से उसे भर्ती किया जाता है|

मार्ग

जिस मार्ग के माध्यम से पीड़ित को लक्षित शोषण के स्थान पर ले जाया जाता है|

बाज़ार

वह क्षेत्र या स्थान, जहाँ आर्थिक लाभ के लिए दुर्व्यापार से पीड़ित व्यक्ति का शोषण किया जाता है|

ASSOCIATION
FOR VOLUNTARY
ACTION

दुर्व्यापार और अन्य अपराध

भारतीय न्याय संहिता

- बीएनएस धारा 137 (1) (बी) /आईपीसी धारा 361 – अपहरण
- बीएनएस धारा 123/आईपीसी धारा 328 - जहर आदि के माध्यम से चोट पहुंचाना
- बीएनएस धारा 74/आईपीसी धारा 354 - महिला की शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग
- बीएनएस धारा 142/आईपीसी धारा 368 - अपहृत या अपहृत व्यक्ति को गलत तरीके से छिपाना या कैद में रखना
- बीएनएस धारा 3(5)/आईपीसी धारा 34 - आपराधिक साजिश
- बीएनएस धारा 49/आईपीसी धारा 109 – उकसाना
- बीएनएस धारा 116/आईपीसी धारा 320 - गंभीर चोट
- बीएनएसए धारा 143/धारा 370 - व्यक्ति का दुर्व्यापार
- बीएनएस धारा 144/आईपीसी धारा 370ए - दुर्व्यापार किए गए व्यक्ति का शोषण
- बीएनएस धारा 98 /आईपीसी धारा 372 - वेश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति के साथ अवैध संभोग के उद्देश्य से या किसी गैरकानूनी और अनैतिक उद्देश्य के लिए नाबालिग को बेचना
- बीएनएस धारा 99 /आईपीसी धारा 373 - वेश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति के साथ अवैध संभोग के उद्देश्य से या किसी गैरकानूनी और अनैतिक उद्देश्य के लिए नाबालिग को बेचना और खरीदना
- बीएनएस धारा 64 /आईपीसी धारा 376 – बलात्कार
- बीएनएस धारा 70(1) /आईपीसी धारा 376 डी - सामूहिक बलात्कार

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) - यौन शोषण

जारी.....

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम

धारा 75 - बालक के प्रति क्रूरता

धारा 77 - नशीला पदार्थ पिलाना

धारा 79- बाल कर्मचारी का शोषण (कमाई रोकना)

धारा 81- किसी भी उद्देश्य के लिए बच्चों की बिक्री और खरीद

बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम

धारा 3/14 - बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध

बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम

धारा 16 - बंधुआ मजदूरी के लिए विवश करना

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम

धारा 5 - वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए बच्चे का उपयोग

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

बच्चों की सुरक्षा के लिए कानून

- भारतीय न्याय संहिता, 2023 (आईपीसी, 1860)
- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015
- बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986
- अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 (आईटीपीए)
- बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976
- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

कानूनी प्रावधान

भारतीय संविधान

भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 23 (1)** में मानव के दुर्व्यापार और बेगार तथा इस प्रकार के अन्य बलात श्रम का निषेध किया गया है| इस अनुच्छेद के अनुसार, यदि इस उपबंध का उल्लंघन किया जाता है, तो वह दंडनीय होगा|

- **अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम (आई०टी०पी०ए०), 1956** के अनुसार, वेश्यावृत्ति के लिए किसी व्यक्ति को लाना, फुसलाना या बहलाने की चेष्टा करना दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग) में शामिल है, जो दंडनीय अपराध है|

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

ह्यूमन ट्रेफिकिंग (मानव दुर्व्यापार) क्या है

क़ानून	उद्देश्य	गतिविधियाँ (इनमें से कोई भी)	माध्यम /तरीके (इनमें से कोई भी)	उद्देश्य/इरादा (इनमें से कोई भी)
धारा 111, 143 बीएनएस धारा 370 आईपीसी	शोषण	भर्ती	धमकी	शारीरिक शोषण
		परिवहन	बल या जबरदस्ती	यौन शोषण
		एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना	अपहरण	दासता
		आश्रय देना	धोखाधड़ी या धोखा	गुलामी या गुलामी के समान कार्य
		व्यक्ति को हासिल करना	शक्ति के दुरुपयोग द्वारा	भिक्षावृत्ति
			पीड़ित की सहमति प्राप्त करने के लिए धन या लाभ देने या लेने सहित प्रलोभन	अंगों को बलपूर्वक हटाना
न्यूनतम: 7 वर्ष; अधिकतम: आजीवन कारावास, शेष प्राकृतिक जीवन तथा जुर्माना			जिन मामलों में मृत्यु हुई: न्यूनतम: आजीवन कारावास; अधिकतम: मृत्युदंड, जुर्माना 10 लाख रुपये से कम नहीं अन्य मामले: न्यूनतम: 5 वर्ष; अधिकतम: आजीवन कारावास, जुर्माना 5 लाख रुपये से कम नहीं	

दुर्व्यापार के अपराध के पीड़ित की सहमति कोई मायने नहीं रखती।

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

दुर्व्यापार की प्रक्रिया

स्रोत	पारगमन	गंतव्य
• चाय बागान • ऐसे क्षेत्र जहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर हैं • शरणार्थी शिविर • पुनर्वास शिविर • आपदा क्षेत्र • सूखा, बाढ़ वाले क्षेत्र • गंभीर और घोर गरीबी वाले क्षेत्र • नागरिक अशांति प्रभावित क्षेत्र • विद्यालय • अस्पताल • भीड़भाड़ वाले बाजार, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड • झुग्गी-झोपड़ी वाले क्षेत्र • अनाथालय • दूरस्थ गाँव • संघर्ष क्षेत्र	बस स्टैंड रेलवे स्टेशन राज्य और राष्ट्रीय सीमाएँ हवाई अड्डे बंदरगाह राजमार्ग	• वैध और अवैध कारखाने, खदानें, ईंट भट्टे • घरेलू नौकरानी के रूप में • प्लेसमेंट एजेंसियाँ • मसाज पार्लर, स्पा • वेश्यालय • विषम लिंगानुपात वाले क्षेत्र • अवैध ड्रग डीलर • वैध/अवैध शराब व्यापार के डीलर • पर्यटन स्थल • दूरस्थ औद्योगिक क्षेत्रों में कारखाने • कृषि फार्म • निर्माण स्थल • ऑर्केस्ट्रा

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) धारा 111- संगठित अपराध

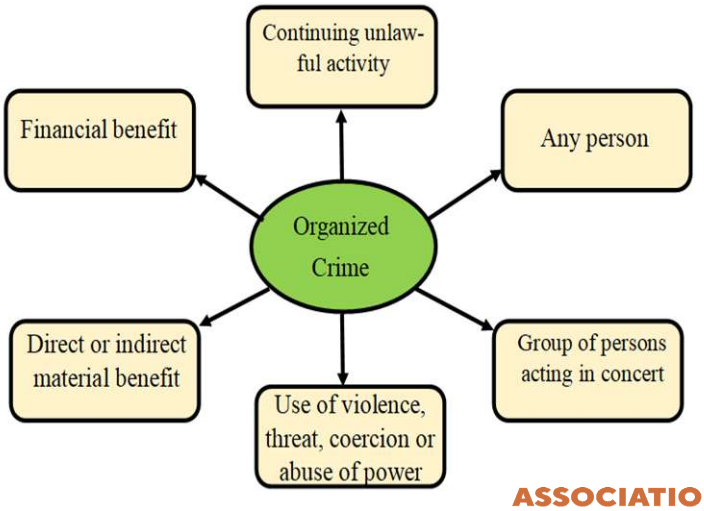

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

दुर्व्यापार का अपराध

- क्षेत्रीय, स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सभी स्तरों पर

पीड़ित कौन है?

- कोई भी.....

  महिला, पुरुष, बच्चे

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

रेलवे में लापता, बाल दुर्व्यापार और बाल यौन शोषण के मामले इतने अधिक क्यों

- परिवहन और स्थानांतरण का सबसे आसान और सबसे सस्ता साधन
- स्टेशनों पर चढ़ना और उतरना आसान
- कम संदेह
- पता लगाना और गिरफ्तार करना मुश्किल
- विशाल क्षेत्र

bachpan bachao andolan

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

bachpan bachao andolan

आप क्या कर सकते हैं

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

संकटग्रस्त या व्यथित बच्चे की पहचान कैसे करें?

- बच्चे का उदास, खोया हुआ या चिंतित लगना
- डरा हुआ, घबराया या सहमा हुआ दिखना
- शरीर पर चोट, कटने, जलने या खरोंच के निशान
- बच्चा जिसके साथ यात्रा कर रहा है, उससे नज़र न मिलाना
- उचित टिकट उपलब्ध कराने या गंतव्य स्थान स्पष्ट रूप से बताने में असमर्थ
- काफी देर से स्टेशन परिसर में घूमता नजर आ रहा है
- ट्रेन में चढ़ते बच्चों का समूह
- 4-5 या अधिक बच्चों के साथ 1-2 वयस्क भी हों
- बच्चों को बार-बार एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में स्थानांतरित किया जा रहा है

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

संकटग्रस्त या व्यथित बच्चे की पहचान कैसे करें?

- बच्चे बात नहीं कर रहे हैं या उन्हें बात करने की अनुमति नहीं है
- बच्चे और उनके साथ यात्रा कर रहे व्यक्ति की वेशभूषा और कपड़ों में तालमेल नहीं होना।
- बच्चे के माता-पिता या अभिभावक या किसी वयस्क का उसके साथ नहीं होना
- बच्चा और उसे ले जानेवाले की भाषा और रंग-रूप बिलकुल अलग होना
- यदि बच्चा किसी तरह के तनाव मे है और इसके बावजूद साथ यात्रा कर रहा व्यक्ति उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा या उसको कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा
- बच्चों का समूह में होना और उनके बीच आपस में कोई बातचीत न होना, कोई शरारत न करना, यात्रा का मजा नहीं लेना, और उनके साथ यात्रा कर रहा व्यक्ति जो कहे, उसे तुरंत मान लेना

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

आरपीएफ़ की भूमिका

ऐसी परिस्थितियों में आप क्या कर सकते हैं?

बच्चे से शांति से बात करें और निम्न सवाल पूछें-

- आप कहाँ जा रहे हैं?
- कहाँ से आ रहे हैं?
- जो लोग आपके साथ हैं, वे आपके क्या लगते हैं?

यदि बच्चा अकेला यात्रा कर हो

- अकेले यात्रा क्यों कर रहे हैं?
- आपके माता-पिता या अभिभावक कहाँ हैं?
- कहाँ जा रहे हो?
- क्यों जा रहे हो?
- कितने दिनों के लिए जा रहे हो?
- यात्रा पूरी होने पर कहाँ रहोगे?

संतोषजनक जबाव नहीं मिलने पर उसे संरक्षण में लेना|

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

आरपीएफ़ की भूमिका

जब कोई बच्चा संकट में हो

- उसे खाना और पानी उपलब्ध कराएं
- बच्चे से शांति से बात करें
- जरूरत पड़ने पर चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था करें
- बच्चे को चाइल्ड हेल्प डेस्क पर ले जाएं
- एसएम द्वारा बनाए गए रजिस्टर में बच्चे का विवरण दर्ज करें
- 24 घंटे के भीतर सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश करें
- स्थानीय पुलिस को सूचित करें
- लड़की के मामले में, प्रतीक्षा कक्ष में आश्रय प्रदान करें और आरपीएफ की एक महिला कांस्टेबल सुरक्षा प्रदान कर सकती है

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

रेलगाड़ियों या रेलवे परिसर में पाए जाने वाले बच्चों को संभालने की प्रक्रिया

I. **<u>जब कोई बच्चा रेलवे परिसर में पाया जाता है:</u>**

- बचावकर्ता (आरपीएफ, जीआरपी, रेलवे कर्मचारी, सीएचडी टीम, या लोक सेवक) का बच्चे को स्टेशन मास्टर /स्टेशन अधीक्षक या सीएचडी टीम के पास ले जाना
- **सी.एच.डी. के कार्यात्मक नहीं होने पर - एस.एम./एस.एस. द्वारा आर.पी.एफ. और जी.आर.पी./पुलिस निरीक्षक को सूचित करना कि वे बच्चे को निकटतम कार्यात्मक सी.एच.डी. या सी.डब्लू.सी. को सौंपे जाने तक अस्थायी देखभाल और सुरक्षा प्रदान करें** और
- उस पुलिस थाने को भी, जिसके अधिकार क्षेत्र में बच्चे के माता-पिता/संरक्षक/रिश्तेदार रहते हैं, यह अनुरोध किया जाएगा कि वे बच्चे के माता-पिता/संरक्षक/रिश्तेदारों का पता लगाएं तथा उन्हें बच्चे के रेलवे स्टेशन पर पाए जाने के बारे में सूचित करें
- **स्थानीय डीसीपीयू की सहायता लेना**

II. **<u>जब कोई बच्चा ट्रेन में पाया जाता है:</u>**

- टीटीई/टीसी/जीआरपी/आरपीएफ/बचावकर्ता को अगले प्रमुख स्टेशन तक बच्चे को अस्थायी देखभाल और सुरक्षा प्रदान करना, तथा स्टेशन प्रबंधक को पहले से सूचित करना
- आगमन पर, स्टेशन प्रबंधक द्वारा बच्चे की सुरक्षा के लिए आरपीएफ/जीआरपी/सीएचडी टीम के साथ समन्वय करना
- **सी.एच.डी. के कार्यात्मक नहीं होने पर - एस.एम./एस.एस. द्वारा आर.पी.एफ. और जी.आर.पी./पुलिस निरीक्षक को सूचित करना कि वे बच्चे को निकटतम कार्यात्मक सी.एच.डी. या सी.डब्लू.सी. को सौंपे जाने तक अस्थायी देखभाल और सुरक्षा प्रदान करें**
- उस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन को सूचित करना, जहाँ बच्चे के माता-पिता/अभिभावक/रिश्तेदार रहते हैं
- स्थानीय डीसीपीयू की सहायता लेना

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

आरपीएफ़ की भूमिका

<u>यदि बच्चा ट्रेफिकर के साथ मिला है, तो</u> आरपीएफ़ आगे की कार्यवाही के लिए बच्चे का रिकॉर्ड रखकर बच्चे को जी०आर०पी० को सुपुर्द करना।

यदि किसी कारणवश उस समय जीआरपी का कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं हो:

- स्टेशन मास्टर से आग्रह कर, बच्चे को प्रतीक्षालय में रुकवाने की व्यवस्था करें।
- यदि बचाया गया बच्चा बालिका है तो महिला आरपीएफ़ या महिला रेलवे कर्मी का उसे सुरक्षा प्रदान करना
- प्रतीक्षालय में बच्चे के रुकने की व्यवस्था न हो पाने की स्थिति में सीएचडी (चाइल्ड हेल्प डेस्क) या कार्यरत एनजीओ से संपर्क

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

बचाए गए बच्चों का रिकार्ड रखना

- कार्यात्मक सीएचडी वाले स्टेशनों पर एसएम/एसएस **फॉर्म-I** में प्रारूप का उपयोग करके बचाए गए बच्चों का विवरण रजिस्टर में दर्ज करेंगे
- विवरण आरपीएफ को भेजा जाना चाहिए, जो यह सुनिश्चित करेगा कि **सूचना संबंधित वेब** पोर्टल (जैसे, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का मिशन वात्सल्य पोर्टल) पर अपलोड कर दी गई है
- जिन स्टेशनों पर **सीएचडी संचालित नहीं** है, वहां के एस.एम./एस.एस. जहां बचाए गए बच्चे को लाया जाता है, वे फार्म-I के प्रारूप का उपयोग करते हुए एक रजिस्टर में बचाए गए बच्चों का विवरण दर्ज करेंगे
- बचाए गए **बच्चे को विवरण के साथ आरपीएफ** को भेजा जाना चाहिए, जो प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा (अर्थात बच्चे को निकटतम सीएचडी या सीडब्ल्यूसी को सौंपना, पुलिस स्टेशन और डीसीपीयू को सूचित करना) और बचाए गए बच्चे की जानकारी संबंधित वेब पोर्टल (जैसे, एमओडब्ल्यूसीडी के मिशन वात्सल्य पोर्टल) पर अपलोड की जाएगी

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

Form - I

Form - I

REPORT TO BE MADE WITH REGARD TO RESCUED CHILD BY SM/SS
(Register to be maintained on same format)

ZONE ..... DIVISION..... STATION.....

1. The details of the child rescued
   - (i) Name (if any)
   - (ii) Age (stated age/age based on appearance) .....
   - (iii) Sex .....
   - (iv) Identity mark/s.....
   - (v) Language used by the child.....
   - (vi) Aadhar details or other verifiable document details found with the child
   - (vii) Photograph (one front pose & both side pose)

3. Details of parents / guardians (if available):
   - (i) Name (relation).....
   - (ii) Age.....
   - (iii) Address.....
   - (iv) Contact number.....
   - (v) Occupation.....

4. Place where the child was found (if in train provide full details i.e. train no. date, coach no. etc.).....

5. The details of the person (if any) with whom the child was found:
   - i. Name .....
   - ii. Age.....
   - iii. Address.....
   - iv. Contact number.....
   - v. Occupation.....

6. Circumstances under which the child was found.....
7. Allegation by the child of any offence/ abuse committed on the child in any manner.....
8. Physical/Health condition of the child.....
9. Belongings of the child at the time rescue (enclose list).....
10. Date and Time at which the child was forwarded to CHD/CWC and by whom.....
11. Immediate efforts made to trace family of the child .....
12. Medical treatment, if provided to the child .....
13. Whether police has been informed .....
14. Details of the CWC to whom forwarded –

Diary Entry No.....
Produced before the Child Welfare Committee.....
Date of production..... Time of production.....
Place of production.....
Order of CWC .....

Signature of SM/SS

Copy to : Inspector/RPF Post ..... for info. And necessary action

Details uploaded on the website .....
(signature of Post Commander) with date & time of uploading

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

बाल देखभाल के लिए अग्रिम निधि का उपयोग

- एसएम/एसएस **जहां सीएचडी कार्यरत** हैं, भोजन, चिकित्सा व्यय, बचाए गए बच्चों की तस्वीरों और सीडब्ल्यूसी के समक्ष बच्चों को पेश करने के लिए आकस्मिक व्यय के लिए स्टेशन अग्रदाय निधि का उपयोग करेंगे
- जहां **सी.एच.डी. कार्यात्मक नहीं** हैं, वहां निरीक्षक/**आर.पी.एफ**. **के पास** भोजन, चिकित्सा व्यय, तथा बच्चों को निकटतम सी.एच.डी. या सी.डब्लू.सी. तक पहुंचाने के लिए **अग्रिम राशि** होगी

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

बचाए गए बच्चों की पहचान और पुनर्मिलन के लिए प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉंजी)

- **सीएचजी/सीडब्ल्यूसी** द्वारा निकटतम **आधार केंद्र पर फिंगरप्रिंट** या आईरिस स्कैन का उपयोग करके बचाए गए बच्चों की पहचान करने का प्रयास किया जाएगा
- **एनसीआरबी** द्वारा उपलब्ध कराए गए उपकरण, जैसे कि यूनिफाई और डिजिटल पुलिस **पोर्टल पर गुमशुदा व्यक्ति की खोज** की सुविधा, का उपयोग **आरपीएफ/जीआरपी द्वारा** बचाए गए बच्चों की पहचान के लिए किया जाएगा
- जिस स्टेशन पर बच्चा पाया गया है, वहां **सार्वजनिक संबोधन प्रणाली** का उपयोग करके तत्काल घोषणा की जाएगी ताकि बच्चे को उसके माता-पिता या अभिभावकों से मिलाने में सहायता मिल सके

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

बचाए गए बच्चे को सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश किया जाना

- एक बार जब एसएम/एसएस बच्चे का विवरण दर्ज कर लेंगे, तो बच्चे को आरपीएफ/जीआरपी को सौंप दिया जाएगा, जो बिना किसी देरी के बच्चे को सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सीएचडी स्टाफ को सौंप देंगे
- यदि सी.एच.डी. उपलब्ध नहीं है, तो बच्चे को बिना किसी अनावश्यक देरी के सी.डब्ल्यू.सी. के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा
- **किसी भी परिस्थिति में बच्चे को सीडब्ल्यूसी की मंजूरी के बिना सीधे माता-पिता, अभिभावक या योग्य व्यक्ति को नहीं सौंपा जाना चाहिए**
- **बच्चे के साथ पाई गई किसी भी वस्तु** को सूचीबद्ध किया जाएगा और उसे आरपीएफ की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा। इन्हें बच्चे के साथ सीडब्ल्यूसी को भेजा जाएगा, और एक सूची की प्रति एसएम/एसएस द्वारा बनाए गए रजिस्टर में लगाई जाएगी

आरपीएफ़ की भूमिका

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015

धारा 32 - अभिभावक से अलग पाए गए बच्चे के बारे में अनिवार्य रिपोर्टिंग: ऐसा बच्चा जो परिवार के समर्थन के बिना अनाथ प्रतीत होता है या दावा करता है, उसे चौबीस घंटे (यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर) के भीतर चाइल्डलाइन सेवाओं या निकटतम पुलिस स्टेशन या बाल कल्याण समिति या जिला बाल संरक्षण इकाई को सूचना देनी चाहिए, या बच्चे को इस अधिनियम के तहत पंजीकृत बाल देखभाल संस्थान को सौंपना चाहिए, जैसा भी मामला हो

धारा 33 और 34 - गैर-रिपोर्टिंग के लिए अपराध और दंड: 6 महीने तक कारावास या 10,000/- रुपये का जुर्माना या दोनों

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

दुर्व्यापार का अपराधी (ट्रेफिकर) कौन है?

कोई भी व्यक्ति

- जो मानव दुर्व्यापार की प्रक्रिया के किसी भी कार्य में शामिल है
- जो दूसरों का शोषण कर अपना लाभ लेता है और मुनाफा और सुविधा प्राप्त करता है
- स्रोत क्षेत्र से गंतव्य तक दुर्व्यापार की श्रृंखला में कहीं भी शामिल

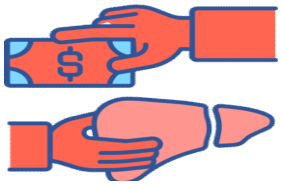

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

रेलवे के संपर्क में आये ट्रेफिकर की पहचान

- पूछने पर इस बारे में कोई स्पष्ट जवाब न देना कि बच्चे उसके साथ क्यों हैं
- पते के प्रमाण के रूप में प्रदान किए गए दस्तावेज़ों में सभी बच्चों के लिए एक ही पता हो सकता है
- ट्रेफिकर्स का खुद को रिश्तेदार या माता-पिता के रूप में प्रस्तुत करना
- व्यक्ति का बच्चे के प्रति बेपरवाह होना या उसका ध्यान नहीं रखना
- उसका व्यवहार बच्चे के साथ बहुत बनावटी होना
- उसका और उसके साथ यात्रा कर रहे बच्चों की वेशभूषा और कपड़ों में तालमेल नहीं होना,
- टी०टी० या रेलवे अधिकारी को देखकर एकदम से असहज हो जाना
- व्यक्ति का मोबाइल पर या अन्य किसी व्यक्ति के साथ संदेहास्पद बातचीत करना

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

आरपीएफ़ की भूमिका

ऐसी परिस्थितियों में आप क्या कर सकते हैं?

संदिग्ध व्यक्ति से निम्न सवाल पूछें-

- कहाँ जा रहे हैं?
- कहाँ रहते हैं?
- किस काम के लिए जा रहे हैं?
- यह बच्चा आपका क्या लगता है?
- कितने दिनों के लिए जा रहे हैं?
- क्या वापसी का टिकिट है?
- जहां ठहरने जा रहे हो, वहां का पता क्या है?
- क्या आप उसी ज़िले के हो, जहां के आपके साथ यात्रा कर रहे ये बच्चे हैं?
- आपके साथ जो बच्चा सफर कर रहा है, क्या वो स्कूल जाता है? यदि जवाब हां में हो तो विस्तार से जानकारी के लिए और सवाल पूछें

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

आरपीएफ़ की भूमिका

यदि वह बताता है कि वह बच्चों को शैक्षिक कारण या कौशल विकास के लिए ले जा रहा है तो पूछें कि

- किस स्कूल, या संस्थान में जा रहे हैं?
- शैक्षणिक सत्र के मध्य में या छुट्टियों में क्यों ले जा रहे हैं?
- क्या उनके घर, जिले या क्षेत्र के आस-पास कोई अच्छा शैक्षिक संस्थान या कौशल विकास केंद्र नहीं है?
- क्या उनके पास स्कूल छोड़ने का प्रमाण-पत्र या ऐसा कोई दस्तावेज़ है, या उस स्कूल या संस्थान का कोई प्रमाणपत्र है, जहां बच्चों को ले जाया जा रहा है
- क्या उनके पास कौशल विकास केंद्र का कोई दस्तावेज़, या दाखिले का प्रमाणपत्र है, जहां किशोर या किशोरियों को ले जाया जा रहा है

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

आरपीएफ़ की भूमिका

दस्तावेजों का सत्यापन करें:

- यात्रा कर रहे व्यक्ति और बच्चे का रेल टिकिट
- दोनों का पहचान-पत्र
- यदि बच्चे को शैक्षिक कारण से या कौशल विकास के लिए ले जा रहे हैं तो दाखिले का प्रमाण-पत्र

बच्चे की उम्र को लेकर संदेह

- उम्र निर्धारण किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94 के अनुसार
- उम्र निर्धारण जीआरपी के माध्यम से, सीडबल्यूसी के द्वारा किया जाता है।
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के अनुसार आधार कार्ड नागरिकता या जन्मतिथि का प्रमाणपत्र नहीं है|

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

आरपीएफ़ की भूमिका

लगातार निगरानी बनाए रखें: उपरोक्त दस्तावेज़ न दिखाये जाने या दस्तावेज़ संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में **लगातार निगरानी बनाए रखें**

कार्रवाई करें- संदेह उत्पन्न होने पर निम्नलिखित कार्रवाई की जा सकती है

- अगले स्टेशन पर कार्यरत आर०पी०एफ़० को सूचित करें
- यदि अगला स्टेशन छोटा है तो अन्य बड़ा स्टेशन आने की प्रतीक्षा करें, और वहाँ पहले से ही सूचित कर दे

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

आरपीएफ़ की भूमिका

रोकथाम:

- **सुरक्षा और संरक्षण** पर **सार्वजनिक संबोधन प्रणाली के माध्यम से जागरूकता** पैदा करना
- बाल सहायता **लाइन नंबर/सीडब्ल्यूसी और जेजेबी संपर्क जानकारी** प्रदर्शित करना
- स्टेशन में **बाल सहायता डेस्क** के बारे में प्रदर्शित करना
- स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक, निरीक्षक-आरपीएफ, एसएचओ-जीआरपी और मुख्य टिकट निरीक्षक/एनजीओ प्रतिनिधि से मिलकर **बाल सहायता समूह (सीएचजी) बनाना**
- **ट्रेन विक्रेताओं/कुलियों/स्टेशन कर्मचारियों/कैब और रिक्शा चालकों** को आरपीएफ/जीआरपी की आंख और कान बनाना
- ट्रेनों में **टीटीई/टीसी/पेंट्री कर्मचारियों को लापता और दुर्व्यापार किए गए बच्चों की पहचान** करने का **प्रशिक्षण देना**
- हेल्पलाइन को बढ़ावा देना: 1098, 182, 1800-102-7222 (बीबीए हेल्पलाइन)
- पोस्टर

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

धारा - 199 बीएनएसएस क्या है?

- **संज्ञेय अपराध** की प्रत्येक **सूचना**, **चाहे वह किसी भी क्षेत्र में किया गया हो**, मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा दी जा सकती है और यदि निम्न तरीके से दी गई हो तो—
  - **मौखिक रूप** से, इसे लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा और सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाया जाएगा; और ....
  - **इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा**, इसे रिकॉर्ड पर लिया जाएगा और इसे देने वाले व्यक्ति द्वारा तीन दिनों के भीतर हस्ताक्षरित किया जाएगा
- संबंधित पुलिस स्टेशन जीरो एफआईआर प्राप्त करता है और इसे नियमित एफआईआर के रूप में फिर से पंजीकृत करता है
- **SHO** आगे की कार्रवाई के लिए **FIR को एक जांच अधिकारी को सौंपता** है
- **बीएनएस की धारा 199- संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज करना** लोक सेवक का कर्तव्य

bachpan bachao andolan
ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

बच्चे को सीडबल्यूसी के आदेश से ही

उसके माता-पिता/अभिभावक या योग्य व्यक्ति को सौंपा जा सकता है

पन्ना लाल महतो मामला

- जुलाई 2019 में गिरफ्तार
- बाद में राष्ट्रीय जांच एजेंसी, रांची, झारखंड ने मामले को अपने हाथ में लिया और आईपीसी, अंतरराज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम और जेजे एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया।
- पन्ना लाल महतो और उसके साथी दिल्ली में अवैध प्लेसमेंट एजेंसियों की आड़ में मानव दुर्व्यापार का रैकेट चलाते थे।
- पिछले 18 वर्षों में 10,000 से अधिक लोगों लोगों का दुर्व्यापार किया।
- 60 करोड़ से अधिक
- महतो और अन्य की 3.36 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की।

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

सीएचडी के लिए निर्देश

- चयनित स्टेशनों पर रेलवे बाल सहायता डेस्क/बूथ (सीएचडी) स्थापित करने के लिए 6x6 फीट की जगह उपलब्ध कराएगा
- रेल मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बीच हुआ समझौता ज्ञापन - संबंधित डीसीपीयू द्वारा 24/7 प्रबंधित
- बचाए गए बच्चों और सी.एच.डी. में तैनात अधिकारियों को स्टेशनों पर प्रतीक्षा कक्षों में शौचालय की सुविधा निःशुल्क
- बचाए गए बच्चों के लिए सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश किए जाने तक रेलवे स्वास्थ्य इकाइयों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं, ओपीडी सेवाएं निःशुल्क
- सी.एच.डी. को स्टेशन के प्रमुख, रोशनी वाले क्षेत्रों में स्थापित किया जाना, जहाँ सीसीटीवी कवरेज उपलब्ध हो
- स्टेशन मास्टर द्वारा बचाए गए बच्चों के लिए सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने तक पृथक स्थान उपलब्ध कराना
- सी.एच.डी. में जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त कार्मिक का चौबीसों घंटे तैनात रहना और स्टेशन पर रेलवे के संपर्क में पाए जाने वाले बच्चों से संबंधित सभी मामलों को सुलझाना
- स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक द्वारा डीसीपीयू के अनुरोध पर सीएचडी में कार्यरत कर्मचारियों को पहचान पत्र जारी करना

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

बाल सहायता समूह (सीएचजी)

❖ **उन सभी स्टेशनों पर सीएचजी की स्थापना की जाएगी जहां सीएचडी संचालित हैं।**

❖ **सीएचजी में निम्न शामिल होंगे**:

✓ स्टेशन प्रबंधक/स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक

✓ एसएचओ (जीआरपी)

✓ निरीक्षक (आरपीएफ)

✓ मुख्य टिकट निरीक्षक (सीटीआई)

✓ एसएसई (वर्क्स)

✓ डीसीपीयू का प्रतिनिधि

❖ स्टेशन प्रबंधक/स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर सीएचजी के संयोजक - आवश्यकतानुसार चिकित्सा अधिकारियों और/या अन्य अधिकारियों से सहयोग प्राप्त करना

❖ सीएचजी द्वारा स्टेशन पर बाल देखभाल और संरक्षण गतिविधियों की समीक्षा और निगरानी करना; बच्चों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीडब्ल्यूसी से सलाह लेना

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

ट्रेन एस्कॉर्टिंग स्टाफ, टीटीई/टीसी, कोच अटेंडेंट, ओबीएचएस स्टाफ आदि के कर्तव्य

❖ ट्रेन में मौजूद कर्मचारियों को उन संकेतों के प्रति सतर्क रहना चाहिए जो यह संकेत देते हैं कि बच्चों को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है:

- ट्रेन में चढ़ने वाले बच्चों के समूह
- चार से पाँच बच्चों का एक या दो वयस्कों के साथ होना
- अकेले बच्चे
- बिना टिकट वाले बच्चे या अपने गंतव्य के बारे में असंगत जानकारी देने वाले बच्चे
- बच्चों का अक्सर डिब्बों के बीच घूमते रहना
- बच्चों को दूसरों के साथ बातचीत करने की अनुमति नहीं होना

❖ वयस्क सदस्यों के साथ या उनके बिना यात्रा करने वाले संदिग्ध बच्चों या बच्चों के समूहों पर सावधानीपूर्वक निगरानी रखना

❖ यदि उनकी पहचान ट्रैफिक्ड, दुर्व्यवहार, बेसहारा, परित्यक्त, खोए हुए या शोषित के रूप में की जाती है, तो टीटीई से परामर्श करना और बच्चे/बच्चों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई करना

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

❖ **परिस्थितियों की पहचान होने पर, ऑनबोर्ड स्टाफ टीटीई/टीसी/कोच अटेंडेंट/ओबीएचएस स्टाफ आदि के कर्तव्य**:

- बच्चे/बच्चों के पास जाएँ और दोस्ताना, बिना डराने-धमकाने वाले तरीके से उनके पते और गंतव्य के बारे में पूछें
- निर्धारित करें कि क्या बच्चे/बच्चों को सहायता की आवश्यकता है
- यदि बच्चा/बच्चे भागे हुए, परित्यक्त या ट्रेफिक्ड किए गए प्रतीत होते हैं, तो जीआरपी/आरपीएफ को सूचित करें
- बच्चे/बच्चों को जीआरपी/आरपीएफ कर्मियों को सौंप दें, जो अगले निर्दिष्ट स्टेशन तक उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और कानूनी औपचारिकताओं को अपनाते हुए उन्हें सीएचडी, डीसीपीयू या सीडब्ल्यूसी को सौंप देंगे
- पहचान करें कि क्या बच्चे को कोई चिकित्सा स्थिति/देखभाल की आवश्यकता है जैसे कि चोट आदि
- यदि बच्चा भूखा है, तो भोजन के लिए पूछें
- बचाए गए बच्चे का पता प्राप्त करने का प्रयास करें
- बच्चे के बारे में विस्तृत जानकारी दर्ज करें, जिसमें नाम, आयु, माता-पिता/अभिभावक/रिश्तेदार का संपर्क विवरण (यदि बच्चा आसानी से दे दे), बोर्डिंग और गंतव्य स्टेशन, टिकट की जानकारी आदि शामिल हैं
- 139, 112, 1098 हेल्पलाइन/सुरक्षा नियंत्रण कक्ष या अन्य स्रोतों के माध्यम से अगले प्रमुख स्टेशन पर एसएस/एसएम, जीआरपी और आरपीएफ को सूचित करें
- सुनिश्चित करें कि बच्चे को प्लेटफ़ॉर्म पर प्राप्त किया जाए और उस स्टेशन पर एसएम/एसएस या बाल सहायता समूह के सदस्यों को प्रस्तुत किया जाए।

bachpan bachao andolan

निगरानी

- एसएम/एसएस सीएचजी की बैठक द्विमासिक या आवश्यकता पड़ने पर अधिक बार बुलाएंगे
- विवरण (मिनट्स) एडीआरएम को प्रस्तुत किए जाएंगे और फॉर्म-II का उपयोग करके सीनियर डीएससी और सीनियर डीसीएम के साथ भी साझा किए जाएंगे
- एडीआरएम एसओपी कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए अपने प्रभाग के प्रत्येक सीएचडी को शामिल करते हुए अर्धवार्षिक बैठकें आयोजित करेंगे।.

Form II -

Format of Monthly Review Report of convener of **Child Help Group** to be submitted to ADRM.

Sl. No	Case. No Brief Details of child with rescue date/time/place/ Rescuer/ circumstances, etc.	Division/ Station	Contact phone Nos. Railway & BSNL	Date & Time of producing the child/children to the CHD	Details of expenditure incurred from imprest for taking care of the Child

न्यायालय निर्णय

69

मोहरपाल मौर्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (इलाहाबाद उच्च न्यायालय, आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 6693/2023)

- मनुष्य को वस्तु की तरह बेचना समाज पर एक काला धब्बा है।
- किसी भी **संदिग्ध बच्चे की गतिविधि की सूचना** तुरंत पुलिस को दी जानी चाहिए।
- **बाल श्रम और बाल भिखारियों को भी हतोत्साहित** किया जाना चाहिए ताकि बाल दुर्व्यापार के इस जाल को तोड़ा जा सके और बच्चों को बचाने में मदद मिल सके।

ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य (सुप्रीम कोर्ट, 12.11.2013)

- यदि कोई **संज्ञेय अपराध** सामने आता है तो पुलिस अधिकारियों को **एफआईआर** दर्ज करनी चाहिए। **ऐसा न करने वाले अधिकारियों को कार्रवाई का सामना करना होगा।**
- प्रारंभिक जांच का उद्देश्य केवल यह निर्धारित करना है कि क्या सूचना में संज्ञेय अपराध का खुलासा हुआ है, न कि इसकी सत्यता की पुष्टि करना।
- **प्रारंभिक जांच समयबद्ध** होनी चाहिए, **7 दिनों** से अधिक नहीं, तथा **देरी को** सामान्य **डायरी में दर्ज** किया जाना चाहिए।
- संज्ञेय अपराधों के बारे में **सभी जानकारी**, चाहे वह एफआईआर या जांच की ओर ले जाए, **सामान्य डायरी में दर्ज** की जानी चाहिए।

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

प्रेरणा बनाम महाराष्ट्र राज्य (बॉम्बे एचसी 18.04.2007)

राज्य सरकार, बचाए गए बाल पीड़ितों को आवास प्रदान करने वाले संस्थानों के अधीक्षकों, मजिस्ट्रेटों और सत्र न्यायाधीशों, एसएलएसए, राज्य विधिक सलाहकार समिति, एमएससीडब्ल्यू, डब्ल्यूसीडी, विशेष पुलिस अधिकारियों और दुर्व्यापार पुलिस अधिकारियों सहित हितधारकों को निर्देश।

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

पुलिस अधिकारी:

पुलिस बल के भीतर विभिन्न स्तरों पर "**दुर्व्यापार विरोधी प्रकोष्ठ**" बनाएं और उन्हें नियुक्त करें।

जिला-स्तरीय दुर्व्यापार विरोधी प्रकोष्ठ के **प्रमुख** के रूप में एक **वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को नामित** करें।

आयुक्त स्तर पर दुर्व्यापार विरोधी प्रकोष्ठ के प्रमुख के रूप में एक **डीसीपी** को नामित करें।

आईटीपीए के तहत छापेमारी करने पर जांच की निगरानी के लिए तुरंत **दुर्व्यापार विरोधी प्रकोष्ठ को सूचित** करें।

विशेष पुलिस अधिकारी:

वेश्यालय परिसर में पाए गए सभी व्यक्तियों को, जिनमें बचाए गए पीड़ित भी शामिल हैं, **24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष** पेश करें।

बचाए जाने पर **बाल पीड़ितों को बाल कल्याण समिति** के समक्ष प्रस्तुत करें।

बचाए गए **पीड़ितों के निजी सामान और दस्तावेजों को जब्त** करें और उन्हें वापस करें तथा **बच्चों को उनकी मां से फिर से मिलाएँ**, जब तक कि बाल कल्याण समिति द्वारा अन्यथा आदेश न दिया जाए।

आईटीपीए की धारा 18(1) के तहत **वेश्यालय बंद करने के लिए छापेमारी की सूचना जिला मजिस्ट्रेट या उप-मंडल मजिस्ट्रेट** को दें।

मानव दुर्व्यापार विरोधी इकाई (AHTU) और इसके कार्य

एएचटीयू क्या है?

❖गृह मंत्रालय ने **महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध पर विशेष ध्यान** देने के साथ **'निर्भया फंड' के तहत <u>राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में</u> मानव दुर्व्यापार विरोधी इकाइयों (एएचटीयू) की स्थापना और सुदृढ़ीकरण** के लिए एक योजना को मंजूरी दी है (गृह मंत्रालय का पत्र दिनांक 27.12.2019)

- **<u>एएचटीयू का उद्देश्य मानव दुर्व्यापार को रोकना और उससे निपटना है</u>**
- एएचटीयू पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक (Superintendent of Police/Deputy Superintendent of Police) की देखरेख में काम करेगा - जो जिले में सभी गतिविधियों की निगरानी और समन्वय के लिए जिम्मेदार होगा
- एएचटीयू पीड़ितों की कानूनी सलाह के लिए कानूनी सलाहकारों या सहयोगी डीएलएसए/एसएलएसए DLSA/SLSA की सेवाएं भी ले सकता है

एएचटीयू की संरचना

A. एएचटीयू की पुलिस संरचना:

i. 1 इंस्पेक्टर
ii. 2 सब-इंस्पेक्टर
iii. 2 हेड कांस्टेबल
iv. 2 कांस्टेबल

B. आवश्यकता होने पर, निम्नलिखित राज्य विभागों से एक प्रतिनिधि को शामिल करना

i. महिला एवं बाल विकास (Women and Child Development)
ii. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (Health and Family Welfare)
iii. श्रम एवं रोजगार (Labour and Employment)
iv. अभियोजन (Prosecution)

एएचटीयू को राज्य सरकार द्वारा पूरे जिले के लिए एक पुलिस स्टेशन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा, जो जिले के अन्य पुलिस स्टेशनों के अतिरिक्त होगा

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

एएचटीयू की भूमिका

a. **मानव दुर्व्यापार के शिकार लोगों**, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को **बचाने के लिए** कार्रवाई हेतु समन्वय करना

b. बचाए गए पीड़ितों, विशेषकर महिलाओं और **बच्चों को बचाव के बाद उचित देखभाल और परामर्श** प्रदान करना

c. **पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारियों** को संवेदनशील बनाने और उनकी क्षमता निर्माण के लिए नियमित **प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना**

d. जिले में मानव दुर्व्यापार का **डेटाबेस बनाए रखना**

e. **बचाव अभियान चलाना**

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

एएचटीयू के परिणाम

एएचटीयू मानव दुर्व्यापार के सभी तीन पहलुओं पर ध्यान देगा:

- रोकथाम (Prevention)
- संरक्षण (Protection)
- अभियोजन (Prosecution)

• एएचटीयू **<u>मानव दुर्व्यापार से समग्र रूप से निपटने के लिए</u>** क्षेत्र स्तरीय कार्यात्मक इकाई होगी

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

बच्चे को सीडबल्यूसी के आदेश से ही

उसके माता-पिता/अभिभावक या योग्य व्यक्ति को सौंपा जा सकता है

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

Railway Helpline
139

bachpan bachao andolan

BBA Helpline
1800 102 7222

bachpan bachao andolan

Association for Voluntary Action (Bachpan Bachao Andolan)

मानव तस्करी के मामले के निपटारे में आने वाली किसी भी प्रकार की समस्या के त्वरित निदान/सुझाव हेतु श्री देशराज सिंह से भी सम्पर्क किया जा सकता है–

श्री देशराज सिंह,
प्रोजेक्ट को-ऑर्डिनेटर
9205585941 & 9828231656
deshraj@avaindia.org

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION

बाल / महिला दुर्व्यापार मानवता के विरुद्ध अपराध है!

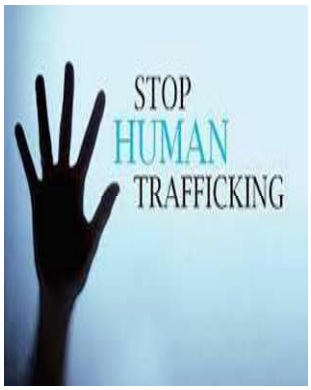

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTION